न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 481/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– नथूराम पुत्र स्व0 रखाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मोहनी पत्नी स्व0 रखाराम जाति जाट निवासी ग्राम ओलवी, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर 2– मोहनी पत्नी स्व0 रखाराम जाति जाट निवासी ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1– भोमाराम पुत्र राणाराम 2– डुंगरराम पुत्र राणाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम ओलवी, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर 3– तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23–9–2016 जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (भू0रूपा0) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 8/2014 अनवान नथुराम वगैरा बनाम भोमाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 15–11–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 266 रकबा 21.18 बीघा, खसरा नंबर 281 रकबा 24.03 बीघा तथा खसरा नंबर 538 रकबा 23.01 बीघा कुल 3 खसरान की 61.02 बीघा भूमि खातेदार राणाराम पुत्र धनाराम जाति जाट सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त भूमि मे से खसरा नंबर 266 एवं खसरा नंबर 281 की कुल 46.01 बीघा भूमि के संबंध मे रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 13–2–2014 के आधार पर उक्त भूमि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 भोमाराम व 2 डुगाराम के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 1489 के जरिये दर्ज की जाकर उक्त नामांतरकरण दिनांक 20–2–2014 को तहसीलदार बिलाडा द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय जोधपुर के समक्ष पेश की जाने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–9–2016 के द्वारा अपीलांट की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार बिलाडा को इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाडा मे विचाराधीन राजस्व वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से कोई भी पक्षकार खुर्दबुर्द न

करे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि अपीलांट संख्या संख्या 1 के दादा के खातेदारी की थी इसलिए उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है तथा कथन किया कि खातेदार राणारामजी के तीन पुत्र रखाराम, भोमाराम एवं डुंगरराम तथा एक पुत्री कुमला हुए जिनमे से रखाराम की देहांत हो चुका है तथा अपीलांटगण स्व0 रखाराम के वारिसान होने से उक्त अपीलाधीन भूमि मे उनका 1/5वां हिस्सा होता है परंतु उक्त हिस्से से अपीलांटगण को महरूम रखने के लिए रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपने पिता राणाराम को बहला फुसला कर खसरा नंबर 538 की 23.01 बीघा भूमि मे से 8 बीघा भूमि दिनांक 15–6–2012 को बेचान कर दी जबकि राणाराम को अपने हिस्से की भूमि से अधिक भूमि का बेचान करने का अधिकार ही नही था इसलिए अपीलांट को इस गलत बेचान की जानकारी हुई तो अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के समक्ष घोषणा खातेदारी, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विरूद्ध पेश किया तथा उस दावा के साथ धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रार्थना पत्र भी पेश किया, जिस पर माननीय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा ने दिनांक 23–7–2012 को अपीलाधीन खसरा नंबरान 266, 281 व 538 की मौके की यथास्थिति एवं राजस्व रेकर्ड मे किसी प्रकार के परिवर्तन नही करने बाबत स्थगन आदेश पारित किया, जो आज भी प्रभावी है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त स्थगन आदेश की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को होते हुए भी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने खसरा नंबर 266 व 281 की सम्पूर्ण रकबे की भूमि का अपने पक्ष मे बख्शीशनामा दिनांक 13–2–2014 को निष्पादित करवा दिया तथा उक्त बख्शीशनामे के आधार पर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1489 स्वीकृत करवा लिया जाने की जानकारी अपीलांटगण को होने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय जोधपुर के समक्ष अपीलांट संख्या 2 मोहनीदेवी ने प्रथम अपील पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–9–2016 के द्वारा स्वीकार तो कर ली परंतु अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1489 को निरस्त करने बाबत कोई निर्णय पारित किये बिना ही प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को सहायक कलेक्टर बिलाडा मे चल रहे दावे के अंतिम निर्णय तक वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से कोई भी पक्षकार खुर्दबुर्द न करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1489 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि

के खातेदार राणाराम स्वयं अभी जीवित है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील मे राणाराम को पक्षकार ही नही बनाया जबकि दावे मे पक्षकार बनाया हुआ है इसलिए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील डिफक्टिव होने से खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि उक्त अपीलाधीन भूमि प्रांरभ से ही राणाराम के खातेदारी की रही है इसलिए उसे अपने खातेदारी की भूमि का किसी को भी बेचान, मुतकील करने का अधिकार रखता होने से उक्त खातेदार राणाराम ने अपने खातेदारी के खसरा नंबर 266 व 281 की भूमि के संबंध मे एक बक्शीशनामा (दानपत्र) रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष मे निष्पादित कर दिनांक 13–2–2014 को उप पंजीयक बिलाडा के कार्यालय मे पंजीबद्ध करवाया तथा उक्त पंजीबद्ध बक्शीशनामा के आधार पर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1489 दिनांक 20–2–2014 को स्वीकृत किया गया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान किये गये कथनो के जवाब मे कथन किया कि अपीलांट द्वारा सहायक कलेक्टर कार्यालय बिलाडा मे प्रस्तुत दावे के साथ धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का जो प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमे दिनांक 23–7–2012 को मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किया हुआ होना बताया । रेस्पो0 अधिवक्ता ने दावे की आदेशिकाएं जो पत्रावली पर उपलब्ध है की ओर न्यायालय का ध्याान दिलाते हुए कथन किया कि उक्त दावे मे अप्रार्थी (रेस्पो0) के नोटिस दिनांक 10–3–2014 को तामिल होना प्रकट है अथार्त इससे पहले रेस्पो0 को अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पारित स्थगन आदेश के बारे मे जानकारी ही नही थी ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाडा मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर रखा है तो दावे के अंतिम निर्णय से ही अपीलांट के हको का निर्धारण होना है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन निर्णय मे सहायक कलेक्टर बिलाडा मे विचाराधीन राजस्व वाद के अंतिम निर्णय तक वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से कोई भी पक्षकार खुर्दबुर्द नही करने के आदेश पारित किये है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध रिकार्ड आदि का अवलोकन किया । अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि खातेदार राणाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट के खातेदारी की थी तथा अपीलांट संख्या 1 खातेदार राणाराम का पोता तथा अपीलांट संख्या 2 मोहनी पत्नी स्व0 रखाराम की बेवा एवं खातेदार राणाराम की पुत्रवधु है

तथा यह भी उल्लेखनीय है कि खातेदार राणाराम स्वयं वर्तमान मे जीवित है । खातेदार राणाराम ने अपीलाधीन खसरा नंबर 266 व 281 की भूमि के संबंध मे एक बक्शीशनामा (दानपत्र) रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष मे निष्पादित कर दिनांक 13–2–2014 को उप पंजीयक बिलाडा के कार्यालय मे पंजीबद्ध करवाया तथा उक्त पंजीबद्ध बक्शीशनामा के आधार पर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1489 दिनांक 20–2–2014 को स्वीकृत किया गया है, जो प्रथमदृष्ट्यिां विधिसम्मत प्रतीत होता है। उक्त नामांतरकरण संख्या 1489 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील पेश की जिसमे केवल रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को ही पक्षकार बनाया जबकि मूल खातेदार राणाराम स्वयं अभी जीवित होते हुए उसे पक्षकार ही नही बनाया, इस आधार पर भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दोषपूर्ण थी ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पत्रादि के अवलोकन से तथा पक्षकारान द्वारा किये गये कथन अनुसार अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाडा मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर रखा है तो दावे के अंतिम निर्णय से ही अपीलांट के हको का निर्धारण होना है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा नामांतरकरण संख्या 1489 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील मे जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे अपीलांट की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए सहायक कलेक्टर बिलाडा मे विचाराधीन राजस्व वाद के अंतिम निर्णय तक वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से कोई भी पक्षकार खुर्दबुर्द नही करने के आदेश पारित किये है, वह समर्थन योग्य होने से उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–9–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर